

## होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-1075 (एस0टी0)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर पर जनवरी, 2021 से जून, 2021 के औसत अंक 345 (तीन सौ पैंतालिस) पर दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शतप्रतिशत निष्प्रभावी करके विशेष भत्ता देय है।

दृष्टांत -रु0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.10.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक देय विशेष भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(345-239) \times 6350}{239} = 2816.31 \text{ रु0 प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय विशेष भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेंट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	विशेष भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	2816.31	9166.31	352.55
	अर्द्धकुशल	7000	3104.60	10104.60	388.63
	कुशल	7840	3477.15	11317.15	435.27
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	2984.85	9714.85	373.64
	अर्द्धकुशल	7420	3290.87	10710.87	411.95
	कुशल	8310	3685.60	11995.60	461.36
	अति कुशल	8975	3980.54	12955.54	498.29
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	3344.10	10884.10	418.61
	अर्द्धकुशल	8980	3982.76	12962.76	498.56
	कुशल	10640	4718.99	15358.99	590.73
	अति कुशल	12565	5572.76	18137.76	697.60

(आर0पी0 गुप्ता)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।


कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: 1724-28/आई०आर०-2021 (विशेष भत्ता)

दिनांक 22-10-2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
3. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- उप श्रम आयुक्त, नजारात को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

  
(आर०पी० गुप्ता)  
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।